



**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
भवन प्रमंडल, गोड्डा।**

**निविदा आमंत्रण सूचना सं०- 08/2018-19**

1. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, गोड्डा।
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि :- दिनांक :- 19.11.2018 को अपराह्न 1.00 बजे तक।
3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक :- 20.11.2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक।
4. निविदा खोलने का तिथि एवं समय :- दिनांक :- 20.11.2018 को अपराह्न 3.30 बजे।
5. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थल :- 1. नगर थाना, गोड्डा।  
2. कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, भवन प्रमंडल, गोड्डा।  
3. अधीक्षण अभियंता का कार्यालय भवन अंचल, दुमका।
6. निविदा प्राप्ति एवं खोलने का स्थान :- क्रमांक 5 में वर्णित स्थान पर।
7. कार्य की विवरणी निम्न प्रकार है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	परिमाण विपत्र का मुल्य	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Renovation of S.D.M. residence at Godda	9,48,444 /-	1250 /-	19,000 /-	तीन माह
2	Repair of Old Court, Record Room building, Motorcycle shed & Gardening in Court campus at Godda.	12,73,500 /-	2500 /-	26,000 /-	तीन माह

निविदा की शर्तें- [www.Jharkhand.gov.in](http://www.Jharkhand.gov.in) एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, गोड्डा।

## निविदा की शर्तें—

1. परिमाण विपत्र की स्वीकृति के आधार पर निविदा की राशि घट-बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन एवं परिमाण विपत्र की राशि में परिवर्तन हो सकता है।
2. काली सूची अनापत्ती शपथ पत्र दाखिल करना अनिवार्य है।
3. परिमाण विपत्र क्रय हेतु निविदाकारों को भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदा0 द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र, अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र(उपायुक्त या आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत), पेन कार्ड एवं अद्यतन आयकर रिटर्न अनुरूप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, UCAN,G.S.T निबंधन एवं अग्रतन रिटर्न की छाया प्रति जो अभिप्रमाणित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा एवं निविदा के साथ भी उक्त सभी प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।
4. परिमाण विपत्र का मूल्य परिमाण विपत्र में अंकित राशि के अनुसार आवेदन के साथ बैंक ड्रॉपट/बैंक्स चेक के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञापित होगा, जो भारतीय स्टेट बैंक से निर्गत एवं जो भारतीय स्टेट बैंक , गोड्डा में भुगतये हो।
5. अग्रधन की राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से प्रतिज्ञित झारखण्ड राज्य के किसी डाकघर/बैंक से निर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/झारखण्ड राज्य के किसी अनुसूचित बैंक से निर्गत फिक्स डिपोजिट रसीद/झारखण्ड राज्य के किसी अनुसूचित बैंक से निर्गत बैंक से निर्गत बैंक गारंटी के रूप में जिसकी बैधता निविदा खुलने के 180 दिनों के लिए हो मान्य होगा।
6. बिना कारण बताए निविदा को रद्द करने का अधिकार विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
8. परिमाण विपत्र क्रय करने के लिए निबंधित संवेदक या उनके द्वारा प्राधिकृत सिर्फ एक व्यक्ति ही कार्यालय में उपस्थित होंगे।
9. सरकार द्वारा स्वीकृत की गई वर्तमान न्यूनतम दर का भुगतान करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा डालने के पूर्व प्राक्कलन एवं अन्य शर्त आदि के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क करें। निविदादाता अपने खर्च पर कार्य स्थल का निरीक्षण तथा निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता एवं कार्य स्थल से इनके स्रोत की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तदनुसार संतुष्ट होकर निविदा में भाग लेंगे बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. निविदादाताओं को संबंधित कार्य का एक समयबद्ध कार्यक्रम समर्पित करना होगा, जो एकरारनामा का अभिन्न अंग होगा।
12. निविदादाता को अपना दर परिमाण विपत्र में निर्धारित स्थान में होगा एवं निविदादाता परिमाण विपत्र की दर से 10% (दस प्रतिशत) कम तक अपना दर अंकित कर सकते हैं। दस प्रतिशत की कम सीमा से आगे कम दर मान्य नहीं होगा।
13. कार्यस्थल पर निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, छड़, चीप्स, ईट, बालु आदि का गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं आपूर्ति करनी होगी एवं सामग्री का रख-रखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था संवेदक को अपने निजी खर्च पर वहन करना होगा।
14. जिन कार्यों में छत का निर्माण/मरम्मत करनी हो, उसमें समाप्ति के पश्चात एक बरसात के बाद ही अग्रधन की राशि विमुक्त की जायेगी।
15. कार्य स्थल पर संवेदक को स्वयं बिजली एवं पानी की व्यवस्था करनी होगी।
16. संवेदक के द्वारा कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का गुण नियंत्रण प्रमाण-पत्र प्रत्येक विपत्र के साथ देना होगा।
17. कार्य आवंटन के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर एफ-2 पर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा विलंब होने पर अग्रधन की राशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।
18. एकरारनामा अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। किसी भी प्रकार का अवधि विस्तार स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
19. निविदा कागजात एवं संलग्न सभी कागजातों के प्रत्येक पृष्ठ पर संवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।
20. कार्य स्थल पर संवेदक को साईन बोर्ड लगाना होगा एवं समय-समय पर कार्य स्थल का फोटो अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना अनिवार्य होगा।
21. भवन हस्तांतरण के पश्चात ही अंतिम विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
22. कार्यों का भुगतान निधि उपलब्ध होने के उपरान्त ही किया जायेगा इसके लिए किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
23. सरकार के सचिव, भ0नि0वि0, झारखण्ड, राँची के अधिसूचना सं0- 3855 दि0- 31.12.15 द्वारा निर्गत झारखण्ड भवन निर्माण संवेदक निबंधन नियमावली 2015 में निहित आदेश के आलोक में निबंधित संवेदक ही निविदा में भाग ले सकते हैं
24. संवेदक को अंक एवं शब्द दोनों में दर भरना अनिवार्य होगा।

कार्यपालक अभियंता,  
भवन प्रमंडल, गोड्डा।